



Sr.Circular No. 255

**Council of Scientific & Industrial Research**  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi – 110 001.

No. 15-3/1/71-O&M(Pt.V)

30<sup>th</sup> August, 2005.

From

**Chief Vigilance Officer**

To

The Directors/Heads of all National Labs./Instts.

Sub:- Reviewing of APARs/ARPs in respect of Scientists E/I/EII/F.

Sir,

From time to time, CSIR Labs./Instts. have been advised that the S&T work should be structured in such a way that the APARs/ARPs in respect of S&T staff is written by the immediate supervisor of the employee concerned and that the Reporting Officer should be at least one rank higher than that of the Officer being reported upon. Likewise, the Reviewing Officer should be senior and wherever possible should be of a rank higher than that of the Reporting Officer.

It has been observed that a large number of APARs/ARPs in respect of Scientists E.I, E.II and F are being sent to CSIR HQs. for getting them reviewed by the Director-General, CSIR on the plea that the individuals concerned are reporting directly to the Director. The matter has been considered by the DG, CSIR and it has been decided to advise all the Labs./Instts. to structure their work and activities in such a way that APARs/ARPs of Scientists up to the level of Scientist Gr.IV (5) are written and reviewed at Lab./Instt. level.

You are, therefore, requested to take necessary action accordingly and send APARs/ARPs of only Scientists 'G' for review by DG, CSIR.

Hindi version is enclosed.

Yours faithfully,

Sd/-

( R.S. Antil )

Chief Vigilance Officer

Copy to:-

1. Sr.COAs/COAs/AOs of all National Labs./Instts.
2. All the Heads of Divisions/Sections at CSIR Hqrs./CSIR Complex
3. DS & PPS to DG, CSIR
4. US & PS to JS (Admn.), CSIR
5. PA to FA, CSIR
6. PA to Legal Adviser, CSIR
7. DS(CO), CSIR Hqrs.
8. DS(EII)
9. Dr. A.Wahid, Scientist-F, IT Division, CSIR Hqrs. for placing on the website.
10. Office Copy.

Chief Vigilance Officer



क्रम परिपत्र सं. 255

Phone : 23710311

Fax : (91-11) 23710311, 23316763

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्**  
**अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001**  
**COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH**  
**Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001**

संख्या

No.

15-3/1/71/ओ एण्ड एम (भाग V)

30 अगस्त, 2005

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
**Chief Vigilance Officer**

To

सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: वैज्ञानिक E/EI/F के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट्स/वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (APARs/ARPs) के पुनर्विलोकन के संबंध में।

महोदय,

सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को समय-समय पर सलाह दी जाती रही है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी (S&T) कार्य की संरचना इस तरह से हो कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टाफ (S&T) के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट्स/वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (APARs/ARPs) संबंधित कर्मचारी के आसन्न पर्यवेक्षक (Immediate Supervisor) द्वारा लिखी जानी चाहिए तथा रिपोर्टिंग अधिकारी, रिपोर्टित अधिकारी (Officer reported upon) से कम से कम एक पद (rank) उच्चतर (higher) होना चाहिए। इसी प्रकार, पुनर्विलोकन अधिकारी, जहां तक संभव हो, रिपोर्टिंग अधिकारी से वरिष्ठ या एक पद (rank) उच्चतर (higher) होना चाहिए।

यह पाया गया है कि वैज्ञानिक E/EI/F के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट्स/वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (APARs/ARPs) बड़े पैमाने पर परिषद् मुख्यालय को महानिदेशक, सीएसआईआर के पुनर्विलोकन हेतु इस दलील के साथ भेजे जा रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर निदेशक को रिपोर्ट कर रहे हैं। महानिदेशक, सीएसआईआर ने इस मामले पर विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को सलाह दी जाए कि उनके कार्य और गतिविधियों (work and activities) की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पुन IV(5) तक के वैज्ञानिकों के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट्स/वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (APARs/ARPs) प्रयोगशाला/संस्थान स्तर पर लिखी और पुनर्विलोकित हो।

तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा केवल वैज्ञानिक-जी (Scientist 'G') के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट्स/वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (APARs/ARPs) ही महानिदेशक, सीएसआईआर के पुनर्विलोकन हेतु भेजें।

भवदीय,

ह/-

(आर.एस.अन्तिल)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियन्त्रक/प्रशासन नियन्त्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रधान
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के उप सचिव एवं प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अवर सचिव एवं निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार के निजी सहायक
6. विधि सलाहकार के निजी सहायक
7. उप सचिव (के.क.)
8. उप सचिव (ई-ई)
9. डी. ए. वाहिद, वैज्ञानिक 'F', आई. टी. प्रभाग, परिषद् मुख्यालय - सीएसआईआर के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु
10. कार्यालय प्रति

मुख्य सतर्कता अधिकारी